

पत्रांक-परि०आ०-192/2016 383

/राँची, दिनांक- 13/04/2020

प्रेषक,

के० रवि कुमार, भा०प्र०से०
सचिव,
परिवहन विभाग।

सेवा में,

राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
NIC, राँची।

विषय: व्यवसायिक वाहनों के लिए VAHAN-4 सॉफ्टवेयर में 'Non-use clause facility' के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का पत्रांक-RT-11012/02/2019-MVL (pt-8), दिनांक-30.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र के द्वारा परिवहन यानों के संबंध में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्देश के कंडिका-3 में निम्न प्रावधान वर्णित है-

'Non-use clause facility' for transport vehicles for suspension of tax liability, which is operational in a number of states and the facility is being provided by NIC on the VAHAN platform online, may be adopted by other states to give relief to the commercial vehicles like taxi, bus etc. which are non-operational under the current circumstances.

वर्तमान में गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में सम्पूर्ण भारत में Lockdown की स्थिति है, जिसमें कई वर्ग के वाहनों का परिचालन बंद है।

अतएव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त उपरोक्त दिशा-निर्देश के आलोक में अविलम्ब VAHAN-4 सॉफ्टवेयर में 'Non-use clause facility' को प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाय ताकि वाहन स्वामी परिस्थिति के अनुरूप अपना आवेदन समर्पित कर सकें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/4/2020
(के० रवि कुमार)

सचिव

परिवहन विभाग।

ज्ञापांक- परि०आ०-192/2016 583

/राँची, दिनांक- 13/04/2020

प्रतिलिपि-सभी उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं प्रासंगिक पत्र के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

13/4/2020
सचिव

परिवहन विभाग।

ज्ञापांक- परि०आ०-192/2016 583

/राँची, दिनांक- 13/04/2020

प्रतिलिपि-पी०एम०यू० कोषांग, परिवहन विभाग को प्रासंगिक पत्र अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि परिवहन विभाग के वेबसाईट पर इसे प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

अनु०-यथोक्त।

13/4/2020
सचिव

परिवहन विभाग।

लिए 10,000 (दस हजार) रु एवं हल्के मोटर वाहन के लिए 25,000.00 (पचास हजार) रु अधिक होने की स्थिति में राज्य परिवहन आयुक्त से अनुरोध स्तर के पदाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई पदाधिकारी आवेदन प्रार्थित के दो माह के अन्दर बकाया क/अर्थात् की राशि मासिक दरता में वर्तमान कर के साथ स्वीकार कर औपचारिक कर-प्रतीक निर्गत करने के आदेश दे सकेंगे, जो किसी भी स्थिति में छह किशतों से अधिक नहीं होंगी।”

13. उत्तराधिकारी पर बकाया कर के भुगतान का दायित्व-(1) यदि किसी वाहन का स्वामी अर्थात् वाहन के देय कर का भुगतान किये बिना उस वाहन का स्वामित्व, कब्जा अथवा नियंत्रण किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित कर देता है तो वह व्यक्ति, जिसके स्वामित्व, कब्जे अथवा नियंत्रण से संबंधित न आ गया है, वाहन पर बकाये कर एवं अर्ध दंड, यदि कोई हो, के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

(2) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उक्त कर के भुगतान हेतु उस व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी, जिसने स्वामित्व का हस्तान्तरण कर दिया है या ऐसे वाहन के कब्जे अथवा नियंत्रण से अलग गया है।

14. बाहर के राज्यों में निवृत्त परिवहन वाहनों का कर के भुगतान किये बिना इस राज्य अधिनियम 59, 1988) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी बात के होते हुए भी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 अधिनियम के अधीन, किसी परिवहन वाहन का उस समय तक विहार में न तो परिवहन किया जायेगा, जो न ही परिवहन के लिये रखा जायेगा, जब तक कि उस वाहन के संबंध में शिबहार राज्य में चालन हेतु परमिट की सम्पूर्ण वैध अवधि के लिए अनुसूची 1 एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर यथा निर्दिष्ट अनुसूची 11 में निर्दिष्ट सर्भांचत दर पर संगणित कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है:

परन्तु यह कि ऐसे राज्यों के ऐसे मोटर वाहनों जिसका परमिट राज्यों के बीच परस्परिक सम्झौता, जिसमें कोई छूट का प्रावधान है, के अधीन उस राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत है, जो विहार में चालित है, के लिये इस धारा के अन्तर्गत मोटर वाहन कर के अतिरिक्त दूसरा कर भुगतान नहीं करेगा। परन्तु यह और कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन अन्य राज्यों के सक्षम परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत परमिटधारी द्वारा विहार में परिवहन की जानेवाली राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में वार्षिक दर पर बैंक ड्राफ्ट या अन्य विहित ऋण की जानेवाली राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में वार्षिक दर पर बैंक ड्राफ्ट या अन्य विहित ऋण के से संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष करना होगा।

41x x X]

115. (1) राज्य सरकार को, कतिपय वाहनों को कर से छूट देने की शक्ति-राज्य सरकार अध्यादेश द्वारा, किसी मोटर वाहन के किसी वर्ग के संबंध में कर मुक्ति या कर की दर में कमी या भुगतान के संबंध में अन्य उपान्तरण कर सकती है।

(2) “अतिरिक्त मोटर वाहन कर की गणना हेतु वाहन की सामान्य एवं प्रतिरोध मरम्मतों तथा सुरक्षा, विधि व्यवस्था की स्थिति, सड़कों की स्थिति, निर्वाचन, प्राकृतिक आपदा आदि को देखते हुए स सरकार अध्यादेश द्वारा मोटर वाहन के किसी वर्ग विशेष के लिये उद्घोषित होने वाले अतिरिक्त मोटर वाहन कर से विमुक्ति के दिनों की संख्या [अधिसूचना द्वारा] धिनिर्दिष्ट कर सकती जो 8[X X X] नियत अधि के लिये प्रभावी रहेगा तथा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा विस्तारित किया जा सकता। परन्तु एक माह में दिनों की संख्या जिनके लिये अतिरिक्त मोटर वाहन कर के भुगतान में विमुक्ति जा सकती, किसी भी परिस्थिति में एक माह में दस दिनों से अधिक नहीं होंगी।

अधि सं. 7, 2006 द्वारा “परन्तुक” जोड़ा गया।
अधि सं. 8, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया
अधि सं. 6, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित (26.4.1994 के प्रभाव से)
“परन्तुक” अधि सं. 7, 2006 द्वारा निरसित।
“उपधारा (2)” अन्तः स्थापित तंत्र (16.7.2002 से प्रभावी)
अधि सं. 7, 2006 द्वारा अंतः स्थापित।
अधि सं. 8, 2007 द्वारा अन्तः स्थापित।
शब्द “अधिसूचना की विधि से” विलोपित तंत्र।

16. कर मुक्ति प्रतीक का निर्माण-करोपण पदाधिकारी, उन मोटर वाहनों को जिन्हें धारा 15 के अन्तर्गत कर के भुगतान के दायित्व से मुक्त किया गया है, विहित प्रपत्र में कर मुक्ति प्रतीक निर्गत करेगा।

17. वाहनों के अस्थायी परिचालन-विराम की अवस्था में पूर्व सूचना-(1) जब कोई मोटर वाहन यांत्रिक खराबी, विचार अथवा प्राकृतिक आपदा या बाध्यकारी व्यक्तित्व कारण” या राज्य सरकार द्वारा विहित अन्य कारणों से एक माह से अधिक की अवधि के लिये उपयोग के योग्य नहीं रहता है, तो संबंधित वाहन का स्वामी जिस अवधि के लिये कर भुगतान किया गया है उसकी सम्पूर्ण की तिथि को या उसके पूर्व करोपण पदाधिकारी के समक्ष विहित प्रपत्र में सम्पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित परिवचन देगा। अन्य विवरणों के अतिरिक्त, परिचालन-विराम की अवधि में वाहन रखे जाने का स्थान भी अंकित रहेगा। परिवचन के साथ वाहन का निबंधन प्रमाण-पत्र, योग्यता-प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, तथा कर प्रतीक अन्य विहित कागजात के साथ करोपण पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किये जायेंगे। परिचालन विराम के अवधि के विस्तार अथवा इस अवधि में वाहन रखे जाने के स्थान में परिवर्तन, यदि कोई हो, को पूर्व सूचना यथासमय करोपण पदाधिकारी को दी जायेगी। संबंधित वाहन का परमिट, यदि कोई हो, भी उस प्राधिकार, जिसके द्वारा उक्त परमिट निर्गत किया गया है, के समक्ष करोपण पदाधिकारी को इसकी सूचना देते हुए, प्रस्तुत किया जायेगा।

परन्तु यह कि कोई ऐसा परिवचन एक बार में छः माह से अधिक अवधि के लिये नहीं होगा।

(2) यदि उपर्युक्त परिवचन में आवृत्त अवधि के अन्दर किसी समय संबंधित मोटर वाहन उपयोग में आया जाता है या परिवचन के स्थान से भिन्ना किसी स्थान पर आया जाता है, तो ऐसा वाहन इस अधिनियम के उद्देश्य से, उक्त सम्पूर्ण अवधि में बिना कर भुगतान किये, उपयोग में लाया गया माना जायेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन परिवचन समर्पित किये जाने के अभाव में इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक मोटर वाहन का राज्य के अन्दर उपयोग में अथवा उपयोग के लिये रखा मान कर, कर भुगतान के लिये दायी माना जायेगा।

18. कर की वापसी-(1) यदि किसी व्यक्ति ने किसी मोटर वाहन के संबंध में कर का भुगतान किया है, तो वह निम्नलिखित परिस्थितियों में कर की वापसी का हकदार होगा:

- (क) जब धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसे मोटर वाहन के संबंध में परिवचन समर्पित किया गया है, जो कर वापसी आवेदन देने की तिथि तक करोपण पदाधिकारी द्वारा, विहित जांच पड़ताल के परचात्र उनके मत से मिथ्या न पाया गया हो, परिवचन देने की तिथि से कर भुगतान की अवधि की अंतिम तिथि तक की अनवसित अवधि के लिए प्रति केलेंडर माह पर वार्षिक कर का बारहवां हिस्सा का;
- (ख) करोपण पदाधिकारी द्वारा अधिक कर निर्धारण अथवा अन्य कारण से भुगतान राशि से ज्यादा कर का भुगतान कर दिया गया हो तो अतिरिक्त जमा राशि का; एवं
- (ग) जहां किसी वाहन का कर भुगतान किया गया हो, एवं बार में यह पाया जाए कि वह वाहन कर के अन्वयधीन नहीं है तो जमा कर-राशि का;

परन्तु यह कि कर की वापसी तब तक नहीं की जायेगी तब तक इसके लिये संबंधित व्यक्ति, करोपण पदाधिकारी, को, कर वापसी की देय तिथि से एक वर्ष के अन्दर आवेदन न करता हो, और ऐसी प्रत्येक वापसी विहित शर्तों के अधीन रहेगी।

परन्तु यह और कि करोपण पदाधिकारी विहित सीमा तक की राशि की वापसी की स्वीकृति के लिये सक्षम होगा और वापसी की राशि अधिक होने पर मामले को राज्य परिवहन आयुक्त या ऐसे पदाधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, को निर्दिष्ट करेगा।

(2) कोई भी राशि जो उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अन्तर्गत वापस होने वाले है, प्राथमिकी की स्वीकृति पर आगामी अवधि में देय कर में सामंजस्य की जा सकती।

परन्तु यह कि, यदि कोई कर या अर्ध दंड, यदि कोई हो, प्राथमिकी पर पूर्व अवधि से बकाया हो, तो वैसी स्थिति में लौटाये जाने वाली राशि सर्वप्रथम बकाये राशि के विरुद्ध समंजस की जायेगी और शेष बची राशि, यदि कोई हो, वापस की जायेगी।

1. “धारा 15” “धारा 15(1) के रूप में अधि सं. 6, 2003 द्वारा पुनर्संशोधित” (16.7.2002 से प्रभावी)

Government of Odisha
Commerce and Transport (Transport) Department

NOTIFICATION

Bhubaneswar dated the 09.4.20

No. 3552 / T .., Whereas due to lock down declared by Government of India as well as the State Government to prevent Corona Virus (COVID-19), the owners of stage carriages, contract carriages and goods carriages are not able to pay Motor Vehicle tax and additional tax for the month of April, 2020 in respect of stage carriages/contract carriages and quarterly tax for the period of April-June, 2020 in respect of goods carriages within the grace period as prescribed under sub rule-(2) of rule-9 of Odisha Motor Vehicle Taxation Rules,1976.

Considering the difficulties faced by vehicles owners, Government have been pleased to extend the grace period for payment of Motor Vehicle tax/ additional tax of the aforesaid categories of vehicles up to 30.06.2020.

By Orders of Governor,

M. S. Mishra
09/04/2020

Principal Secretary to Government



Jharkhand Pradesh Bus Owner's Association

Inslari Chowk Tipudana (Pugdu) Hatia, Ranchi (Jharkhand)

The Apex Organisation of Motor Transport Operators Affiliated District/Regional Association.

Patron

Krishna Pradhan
9431107001

~~Dhyan Nath Jha~~
~~9102102380~~

Murari Dutt Upadhyay
9334264521

President

Satchidanand Singh
9431171816

Vice President

Binod Kumar
9430303715

Sanjay Kumar Pandey
8835335928

Gen. Secretary

Pradip Kumar
9431189095

Joint Secretary

Varun Bihari
9431576911

Treasurer

Prasenjeet Kr. Banerjee
9934148089

~~Rakesh Kumar~~
~~9006410475~~

Executive Member

Dharanath Jha
9204491511

~~Rajnish Mishra~~
~~9431189095~~

9431371876

~~Mamish Kumar~~
~~9431189095~~

~~Gopal Yadav~~

Ref. JPBDA/2020

Date 10.04.2020
(10.04.2020)

सेवा में,
सी ई मंत यौन जी
मुख्यमंत्री, आरखण्ड, राँची

विषय: - COVID 19 की रोकथाम के लिए देश व्यापी "लॉकडाउन" के कारण "ऑरपरिचालित" परिवहन वाहनों का 01 अप्रैल 2020 से स्वतंत्र चलाया होने तक "कर" माफ करने / गुणानां से मुक्त करने / दैनिक तिलि के खर्च विस्तार करने का अनुरोध।

महाराज, आरखण्ड प्रदेश बस आर्गनिस एशोसिएशन आरखण्ड के परिवहन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए भारत देश व्यापी "लॉकडाउन" में परिवहन वाहन अपरिचालित है, जो सर्व-विधित है।

परिवहन क्षेत्र पहले से ही आर्थिक तौर पर पुंक्त रहा था, अब COVID-19 के विकसित परिदृश्य ने ऑर संकट में डाल दिया है।

आरखण्ड मोटर वाहन करावोपा अधिनियम, 2001 और आरखण्ड मोटर वाहन करावोपा नियुक्तवली, 2001 के अधीन परिवहन वाहनों पर लोक-सड़क का प्रयोग के लिए कर अधिरोपित है।

मह सर्व विधित है कि "देश व्यापी" "लॉकडाउन" में परिवहन वाहनों का परिचालन प्रणो रूप से कर है अर्थात परिवहन वाहनों का लोक सड़क पर प्रयोग नहीं हो रहा है।

